कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(भारत निर्वाचन), जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक / 556 / मुद्रण / भा.निर्वा. / 2019 देवास, दिनांक 16.02.2019

—: संक्षिप्त निविदा सूचना :—

स्थानीय मुद्रण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में देवास जिले के लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रपत्रों / सूचनाओं आदि का मुद्रण आवश्यकतानुसार किया जाना है। इस हेतु स्थानीय मुद्रकों, सहकारी मुद्रणालयों से सील बन्द **निविदा, दिनांक 27.02.2019 (बुधवार) को दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।** प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 2:30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगीं।

01. निविदाएं सीलबंद लिफाफे में जिस पर ज़िस पर मुद्रण हेतु लिखा होना चाहिए प्रस्तुत की जावें। प्रत्येक निविदा के साथ रू. 2000/— (रू. दो हजार मात्र) का क्रास बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के नाम से देय संलग्न होना आवश्यक है। निविदा मे कागज का प्रकार, साईज एवं प्रति 1000 नग के मान से मुद्रण की दर पृथक—पृथक दर्शायी जावे।

02. **निविदाएं दिनांक 27.02.2019 दोपहर 2.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए,** उसके उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। **निविदाएं उसी दिनांक 27.02.2019 को अपरांह 2.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।**

03. छपाई के संबंध में नमूने जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जायेगें मुद्रण के पूर्व प्रुफ रिडिंग आवश्यक रूप से मुद्रक को करना होगी।

04. मुद्रण हेतु उपयोग किये जाने वाले कॉगज 60 GSM से कम नही होगा। A-4 साईज सिंगल, A-4 साईज डबल, A-3 साईज सिंगल, A-3 साईज डबल एवं पोस्ट कार्ड साईज सिंगल व डबल।

05. कार्यादेश प्राप्त होने के 1 दिवस में आदेश अनुसार संख्या मुद्रित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर /खर्च सम्मिलित है।

07. निविदादाता के आयकर एवं वेट कर का नियमानुसार कटोत्रा उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से स्त्रोत पर ही काट लिया जावेगा।

08. निविदा लिफाफे में प्रस्तुत दर के साथ निविदाकार को स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीयन विगत तीन वर्ष के आयकर रिर्टन का विवरण, पेन कार्ड की प्रति, सलग्न करना आवश्यक है ।

09. गुण—दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को होगा।

10. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास का होगा।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक / 557 / मुद्रण / भा.निर्वा. / 2019 देवास, दिनांक 16.02.2019

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल की ओर निविदा का प्रकाशन जिले के सर्वाधिक विक्रय वाले दो समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर जिला, शाजापुर, खण्डवा, रायसेन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, शाजपुर, नीमच, सीहोर की ओर निविदा सूचना की जानकारी अपने जिले के संबंधित व्यावसायियों को देने हेतु।
4. उप संचालक, जनसंपर्क, सूचना तथा प्रकाशन देवास की ओर भेजकर लेख है कि इस निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क करवाकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भिजवायें।
5. अनुविभागीय अधिकारी देवास / सोनकच्छ / बागली / कन्नौद कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा करें तथा स्थानीय मुद्रण व्यावसायियों को सूचित करें।
6. तहसीलदार देवास / सोनकच्छ / टोंकखुर्द / बागली / कन्नौद / खातेगांव कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा करें तथा स्थानीय मुद्रण व्यावसायियों को सूचित करें।
7. स्टेनो —टू— कलेक्टर देवास ।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)